न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला–चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी डॉ. कृति व्यास (आर0,ए0,एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र –86/2025

अनवान

अक्षत जैन उर्फ भाविक पुत्र माणकचन्द, उम्र 21 वर्ष, जाति महाजन, निवासी जैन मंदिर के पास, बिजौलिया कलां, तहसील बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान।

– प्रार्थी

बनाम

श्री भूमिधारी जरिये तहसीलदार साहब रावतभाटा।

प्रतिवादी/विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित – श्री जितेन्द्र कुमार राठौर प्रार्थी
पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 11.05.2026

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात ग्राम श्रीपुरा, प०ह० श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान में स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 100 खसरा संख्या 1009, 1010, कुल किता 02 रकबा 1.0800 हैक्टर है जो प्रार्थी के 1/16 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम श्रीपुरा की खाता संख्या 292, खसरा संख्या 974 कुल रकबा 0.4300 हैक्टर जिसमे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है तथा इसी प्रकार ग्राम श्रीपुरा की खाता संख्या 351 की खसरा संख्या 1004 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4300 हैक्टर जिसमे प्रार्थी का 1/4 हिस्सा व ग्राम श्रीपुरा की खाता संख्या 99 की खसरा संख्या 1003 कुल किता 01 कुल रकबा 0.8600 हैक्टर प्रार्थी के 1/16 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त वर्णित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड ऑनलाईन जमाबंदी नकल में प्रार्थी के नाम का दाखिला नाबालिग भाविक पुत्र माणकचन्द संरक्षक सरपरस्त माता मनोरमा देवी के नाम से दर्ज है, क्योकि प्रार्थी के नाम विरासत का इंतकाल खुलते समय प्रार्थी नाबालिग था, लेकिन प्रार्थी अब बालिग हो चुका है तथा प्रार्थी की जन्म दिनांक 16.07.2003 है जो कि प्रार्थी के आधार कार्ड, पहचान पत्र, शैक्षणिक दस्तावेज में यही जन्म दिनांक लिखी हुई है, जिसके आधार पर उपरोक्त पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजी के जमाबंदी रिकॉर्ड में प्रार्थी को नाबालिग के स्थान पर बालिग दर्ज किया जाना न्यायोचित है। वर्णित आराजी के जमाबंदी रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भाविक पुत्र माणकचन्द लिखा हुआ है, क्योकि मेरे पिता माणकचन्द जी के स्वर्गवास के उपरान्त विरासत का नामान्तरण खोला गया तब मुझ प्रार्थी का नाम भाविक जो कि मेरे बचपन का नाम था, उक्त नाम से नामान्तरण खोला गया था, जबकि मेरे स्कूल रिकॉर्ड मे तथा मेरे आधार कार्ड संख्या 8720 8402 4864 तथा पहचान व पैन कार्ड पत्र आदि मे मेरा नाम अक्षत जैन लिखा हुआ है। उक्त दोनो नाम भाविक तथा अक्षत जैन मुझ प्रार्थी के ही नाम है, तथा मुझ प्रार्थी को दोनो ही नामो से जाना व पहचाना जाता है। अंत मे निवेदन किया है कि मुझ प्रार्थी के खाते दर्ज रिकॉर्ड कृषि आराजीयात ग्राम श्रीपुरा, प०ह० श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान मे स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 100 खसरा संख्या 1009, 1010 व खाता संख्या 292, खसरा संख्या 974 व खाता संख्या 351 की खसरा संख्या 1004 व खाता संख्या 99 की खसरा संख्या 1003 के जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड मे मुझ प्रार्थी का नाम भाविक उर्फ अक्षत जैन किये जाने की इन्द्राज दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हो प्रकरण में वांछित रिपोर्ट दिनांक 08.04.2026 से पेश की गई। तहसीलदार रावतभाटा अनुसार श्रीपुरा प०ह० के खाता संख्या 100 आराजी संख्या 1009 व 1010 कुल किता 02 रकबा 1.08है० हिस्सा 1/16 व खाता संख्या 292 खसरा संख्या 974 कुल रकबा 0.43है० हिस्सा 1/4 व खाता संख्या 351 खसरा संख्या 1004 रकबा 0.43है० हिस्सा 1/4 व खाता संख्या 99 खसरा संख्या 1003 रकबा 0.86है० हिस्सा 1/16 भाविक पुत्र माणकचन्द जाति महाजन खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी अक्षत जैन द्वारा प्रस्तुत बाद पत्र व मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार अक्षत जैन व भाविक जैन

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Scanned with OKEN Scanner

एक ही व्यक्ति है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पेन कार्ड मे प्रार्थी का नाम अक्षत पुत्र माणकचन्द दर्ज रिकार्ड है।

हमने प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति दर्ज नहीं करने से व इकबाले जवाब पेश करने से एवं प्रस्तुत दस्तावेजी सबूतों व शपथ पत्रों के आधार पर प्रार्थी के कथनों की पुष्टि होती है। वकील प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया है प्रार्थी के नाम राहखातेदारी हक रो ग्राम श्रीपुरा, प०ह० श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान मे स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 100 खसरा संख्या 1009, 1010 व खाता संख्या 292, खसरा संख्या 974 व खाता संख्या 351 की खसरा संख्या 1004 व खाता संख्या 99 की खसरा संख्या 1003 भूमि दर्ज रिकॉर्ड है, उक्त भूमि मे प्रार्थी के बचपन का नाम भाविक दर्ज है, जबकि प्रार्थी का असल नाम अक्षत जैन होकर समस्त दस्तावेजों मे अंकित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी के नाम भाविक के स्थान पर भाविक उर्फ अक्षत जैन करने के संबंध में इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:–आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–136 रा.ले.रे.एक्ट का स्वीकार किया ग्राम श्रीपुरा, प०ह० श्रीपुरा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान मे स्थित होकर जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2076–2079 की खाता संख्या 100 खसरा संख्या 1009, 1010 व खाता संख्या 292, खसरा संख्या 974 व खाता संख्या 351 की खसरा संख्या 1004 व खाता संख्या 99 की खसरा संख्या 1003 भूमि में प्रार्थी के नाम भाविक के स्थान पर भाविक उर्फ अक्षत जैन दर्ज करने की इन्द्राज दुरूस्ती कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को सुनाया गया

(डॉ. कृति व्यास, आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner